अति तत्काल

संख्या ई-11015/2/2016-हिंदी
भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 27 अक्टूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अपर सचिव (प्रशासन), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में 31 अक्टूबर, 2022 को अपराह्न 03.00 बजे होने वाली आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की सूचना ।

उपर्युक्त विषय पर हिन्दी प्रभाग के दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 के कार्यालय ज्ञापन, जिसके साथ बैठक के लिए संक्षिप्त कार्यसूची भेजी गई थी, के संदर्भ में अपर सचिव (प्रशासन), आवासन और शहरी कार्य की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की **31 अक्टूबर, 2022 को अपराह्न 03.00 बजे संपदा निदेशालय के सम्मेलन कक्ष, 417 सी-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली** में होने वाली बैठक के लिए विस्तृत कार्यसूची संलग्न है ।

2. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सभी प्रभागों के प्रभागाध्यक्ष/निदेशक एवं सभी अवर सचिवों से अनुरोध है कि कृपया इस बैठक में उपस्थित होकर अपने उपयोगी सुझावों से अवगत कराएं ।

संतोष

(संतोष सिल्पोकर)
निदेशक (राजभाषा)

सेवा में,

1. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में सभी निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव, निर्माण भवन, नई दिल्ली ।
2. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एनडीसीसी-II भवन, बी-विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली
3. अनुभाग अधिकारी, आई.टी.सैल, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को ई-ऑफिस पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि:-

अपर सचिव (प्रशासन), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के निजी सचिव, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर सचिव (प्रशासन), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 31 अक्टूबर, 2022 को अपराह्न 03.00 बजे संपदा निदेशालय के सम्मेलन कक्ष संख्या 417 सी-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली में होने वाली बैठक की कार्यसूची

कार्यसूची

मद सं0 1 : अपर सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में 22 जून, 2022 को आयोजित आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में कार्यवृत्त (अनुबंध-1) की पुष्टि ।

मद सं0 2 : 22 जून, 2022 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई ।

मद सं0 3 : राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन

मद सं0 4 : जून, 2022 को समाप्त तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा ।

मद सं0 5 : मंत्रालय की वेबसाइट द्विभाषी रुप में करना ।

मद सं0 6 : विज्ञापनों पर किया जाने वाला व्यय ।

मद सं0 7 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई मद ।

*****

संयुक्त सचिव (प्रशासन), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 को अपराह्न 03.00 बजे संपदा निदेशालय के सम्मेलन कक्ष, 417-सी, चतुर्थ तल, निर्माण भवन, नई दिल्ली में आयोजित होने वाली बैठक

कार्यसूची

कार्यसूची की मद संख्या : 1

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 22 जून, 2022 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

अपर सचिव (प्रशासन), की अध्यक्षता में दिनांक 22 जून, 2022 को आयोजित आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गत बैठक का कार्यवृत्त **(अनुबंध-I, पृष्ठ सं0 8-13)** दिनांक 13 जुलाई, 2022 को समिति के सभी सदस्यों को परिचालित कर दिया गया था । कार्यवृत्त पर किसी सदस्य की कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अत: प्रस्ताव है कि पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी जाए ।

कार्यसूची की मद संख्या : 2

22 जून, 2022 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट :-

मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ सभी कार्यालयों ने दिनांक 22 जून, 2022 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गए सभी निर्णयों यथा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन, राजभाषा नियम, 1976 के नियम-5 का अनुपालन, "क" और "ख" क्षेत्रों में अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी अनिवार्य रुप से हिंदी में देना, पत्राचार में हिंदी के प्रयोग की स्थिति, हिन्दी कार्यशालाओं का नियमित आयोजन करना तथा फाइलों पर हिन्दी टिप्पणियां लिखना संबंधी मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है ।

कार्यसूची की मद संख्या : 3

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में विनिर्दिष्ट कागजात हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य है ।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकांश अनुभागों द्वारा धारा 3(3) का अनुपालन नहीं किया जा रहा है । इनमें शामिल है :- **प्रशासन-1 अनुभाग, प्रशासन-IV अनुभाग, बजट अनुभाग, मिशन समन्वय अनुभाग और संसद, शहरी परिवहन प्रभाग, हेरिटेज सिटीज विभाग**

तथा अंतरर्राष्ट्रीय सहयोग अनुभाग । धारा 3(3) के संबंध में अनुपालन की स्थिति **अनुबंध-II (पृष्ठ संख्या 14-17)** में दी गई है । अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि वे सभी अधिकारियों को धारा 3(3) का कड़ाई से अनुपालन करने के निदेश दें ।

कार्यसूची की मद संख्या : 4

जून, 2022 को समाप्त तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा ।

(i) पत्राचार में हिंदी के प्रयोग की स्थिति

केन्द्र सरकार के कार्यालयों में पत्राचार में हिंदी का प्रयोग प्रत्येक वर्ष राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में उल्लिखित लक्ष्यों के अनुसार किया जाना चाहिए। चुंकि मंत्रालय 'क' क्षेत्र में स्थित है अत: वर्ष 2022-23 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों द्वारा "क" तथा "ख" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को जारी किए जाने वाले सभी पत्र हिंदी में ही भेजे जाने अपेक्षित हैं ।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में पत्राचार में हिंदी के प्रयोग के संबंध में स्थिति इस प्रकार है :-

		जून, 2022 को समाप्त तिमाही
1.	"क" क्षेत्रों को भेजे गए	84.88 प्रतिशत
2.	"ख" क्षेत्रों को भेजे गए	83.69 प्रतिशत
3.	"ग" क्षेत्रों को भेजे गए	67.30 प्रतिशत

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकांश अनुभागों में हिन्दी पत्राचार की स्थिति संतोषजनक नहीं है । जिन अनुभागों में हिन्दी पत्राचार संतोषजनक नहीं है तथा जिन अनुभागों द्वारा 85% से कम पत्राचार हिन्दी में किया जा रहा है **इनमें शामिल हैं: प्रशासन-IV अनुभाग, बजट अनुभाग, एलएसजी प्रभाग, स्वच्छ भारत मिशन, शहरी विकास प्रभाग, शहरी परिवहन प्रभाग-5, सतर्कता एकक, हैरिटेज सिटीज विभाग तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** । अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि वे सभी अनुभागों/प्रभागों के अधिकारियों को निदेश दें कि वे राजभाषा विभाग द्वारा पत्राचार के लिए निर्धारित 'क' क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत 'ख' क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत तथा 'ग' क्षेत्र के लिए 65 प्रतिशत पत्राचार के लक्ष्य के अनुरुप हिन्दी में पत्राचार करें । पत्राचार के संबंध में अनुपालन की स्थिति **अनुबंध-II (पृष्ठ संख्या 14-17)** में दी गई है ।

(ii) जिन अनुभागों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई

राजभाषा प्रभाग द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2022 के परिपत्र द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सभी अनुभागों से जून, 2022 को समाप्त तिमाही रिपोर्ट भेजने के लिए अनुरोध किया गया था किन्तु दिनांक 11 सितम्बर, 2022 के अनुस्मारक के

उपरांत भी निम्नलिखित अनुभागों से जून, 2022 को समाप्त तिमाही की हिन्दी प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है :-

1. अमृत प्रभाग
2. दिल्ली प्रभाग
3. आर्थिक प्रभाग
4. वित्त प्रभाग
5. विरासत शहर और आईसी प्रभाग
6. सबके लिए आवास प्रभाग
7. आवास प्रभाग
8. पीएचई प्रभाग
9. पीएसपी प्रभाग
10. शहरी गरीबी उन्मूलन (यूपीए) प्रभाग
11. निर्माण प्रभाग
12. केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन

अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि वे सभी सदस्यों को निदेश दें कि वे तिमाही रिपोर्ट हिन्दी अनुभाग को समय से भिजवाया जाना सुनिश्चित कराएं ।

(iii) हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रुप से हिंदी में देना

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में हिंदी में प्राप्त पत्रों में से उत्तर देने के लिए अपेक्षित सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जा रहे हैं। राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 के नियम-5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही देना अनिवार्य है ।

शहरी परिवहन प्रभाग को छोड़कर अन्य सभी प्रभागों द्वारा इस मद का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है । शहरी परिवहन प्रभाग में हिन्दी में प्राप्त 34 पत्रों में से 5 पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया जबकि **16 पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया** तथा 13 का उत्तर देना अपेक्षित नहीं था । हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर देने के संबंध में अनुपालन की स्थिति **अनुबंध-II (पृष्ठ संख्या 14-17)** में दी गई है ।

(iv) अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना ।

राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार अंग्रेजी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना अपेक्षित है ।

एनईआर, यूडीपी प्रभाग को छोड़कर अन्य सभी अनुभागों द्वारा इस मद का उल्लंघन किया गया है ।

(v) टिप्पणियां हिंदी में लिखना ।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2022-23 के वार्षिक कार्यक्रम में 75% टिप्पणियां हिंदी में लिखने का लक्ष्य निर्धारित है ।

मिशन समन्वय अनुभाग (83.33%) छोड़कर अन्य कोई भी अनुभाग निर्धारित लक्ष्य के अनुरुप हिन्दी में टिप्पणियां नहीं लिख रहे हैं । सभी अनुभागों की टिप्पणियों के संबंध में अनुपालन की स्थिति **अनुबंध-II (पृष्ठ संख्या 14-17)** में दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि वे फाइलों पर टिप्पणियां हिन्दी में लिखने के लिए सभी को निदेश दें ।

कार्यसूची की मद संख्या : 5

मंत्रालय की वेबसाइट द्विभाषी रुप में करना ।

राजभाषा विभाग के निदेशानुसार सभी मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइट पूर्ण रुप से द्विभाषी होनी चाहिए । मंत्रालय की वेबसाइट पूर्णत द्विभाषी है किन्तु उसे समय-समय पर अद्यतन करने की करने की भी आवश्यकता है । इस संबंध में संसदीय राजभाषा सिमति भी समय-समय पर निदेश देती है ।

अत: अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि एन आई सी प्रभाग को इस संबंध में निदेश दें कि वे वेबसाइट को अद्यतन करें तथा संबंधित सूचना हिन्दी प्रभाग को भिजवाएं ।

कार्यसूची की मद संख्या : 6

विज्ञापनों और प्रचार पर किया जाने वाला व्यय ।

संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के पहले नौ खंडों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेशानुसार मंत्रालय एवं उसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाए: -

1. जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिये जाते हैं, उन्हें हिन्दी भाषा में भी अनिवार्य रूप से दिया जाएगा ।
2. जहॉ तक संभव हो हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में ही विज्ञापन जारी किए जाएं ।
3. जहॉ विज्ञापन द्विभाषी रूप में जारी करने आवश्यक हों वहॉ उन्हें डिग्लॉट रूप में दिया जाए।
4. लागत को समान रखने के लिए हिन्दी के विज्ञापन बड़े आकार में तथा मुख पृष्ठ पर दिए जाएं जबकि अंग्रेजी के विज्ञापन छोटे आकार में अंतिम पृष्ठ या बीच के पृष्ठ पर दिए जा सकते हैं ।

यह उल्लेखनीय है कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण से संबंधित निर्धारित प्रश्नावली में अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों पर किए गए खर्च के बारे में भी सूचना मांगी जाती है । विज्ञापनों पर हिंदी में किए गए कम व्यय की स्थिति में समिति कडा रुख अपनाती है । इस विषय पर माननीय समिति की नाराजगी से बचने के लिए यह जरुरी है कि इस मद के संबंध में संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के आदेशों का अनुपालन किया जाए ।

अत: अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि सभी अनुभागों/प्रभागों को विज्ञापनों और प्रचार पर किए जाने वाले कुल व्यय का 50 प्रतिशत हिन्दी विज्ञापनों और प्रचार पर किया जाए ।

<u>कार्यसूची की मद संख्या : 07</u>

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई मद ।

*****

अनुबंध - I

संख्या ई-11015/2/2016-हिंदी
भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 13 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अपर सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में 22 जून, 2022 को दोपहर 12.00 बजे आयोजित आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अग्रेषण - आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध ।

अपर सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक **22 जून, 2022 को दोपहर 12.00 बजे** संपदा निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त अनुवर्ती कार्रवाई/सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है । अनुरोध है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी प्रभाग तथा सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/उपक्रम/स्वायत्त निकाय कार्यवृत्त पर मदवार कार्रवाई सुनिश्चित करें और की गई कार्रवाई से इस मंत्रालय को यथाशीघ्र अवगत कराएं ।

संतोष

(संतोष सिल्पोकर)
निदेशक (राजभाषा)

सेवा में,

1. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सभी अनुभाग/प्रभाग
2. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/ उपक्रम/स्वायत्त निकाय

अपर सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 22 जून, 2022 को दोपहर 12.00 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त ।

अपर सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक **22 जून, 2022 को दोपहर 12.00 बजे** संपदा निदेशालय के सम्मेलन कक्ष संख्या 417, "सी" विंग, निर्माण भवन में आयोजित की गई थी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों और कार्यालयों के प्रतिनिधियों की सूची अनुबंध-1 में दर्शायी गयी है।

2. सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित मंत्रालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों के स्वागत के उपरांत सदस्य सचिव अर्थात् निदेशक (राजभाषा) को बैठक की कार्यसूची से अवगत कराने का निदेश दिया।

कार्यसूची की मद संख्या : 1

दिनांक 28 मार्च, 2022 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

निदेशक (राजभाषा) ने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करने के उपरांत अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 28 मार्च, 2022 को आयोजित गत बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई के संबंध में समिति को अवगत कराया । 28 मार्च, 2022 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में जारी कार्यवृत्त पर समिति के सभी सदस्यों से पुष्टि करने का अनुरोध किया। समिति के सभी सदस्यों ने कार्यवृत्त में लिए गए निर्णयों से सहमति व्यक्त की और अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यदि समिति के किसी सदस्य का इस संबंध में कोई सुझाव नहीं है तो यह मान लिया जाए कि समिति ने गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी है।

कार्यसूची की मद संख्या : 2

28 मार्च, 2022 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई

मंत्रालय तथा मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा 28 मार्च 2022 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में जारी कार्यवृत्त में उल्लिखित निर्णयों यथा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3), राजभाषा नियम, 1976 के नियम-5 के अनुसार "क" और "ख" क्षेत्रों में अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रुप से हिंदी में देना, पत्राचार में हिंदी के प्रयोग की स्थिति, टिप्पणियां हिंदी में

लिखना, मंत्रालय तथा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों की वेबसाइट की स्थिति और राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण संबंधी अनुपालन करते हुए सभी संबंधी मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई और सभी कार्यालयों द्वारा इनका अनुपालन किया जा रहा है ।

कार्यसूची की मद संख्या : 3

दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के आधार पर हिंदी के प्रगामी प्रयोग में हुई तुलनात्मक प्रगति की समीक्षा

(i) राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और मंत्रालय के अधीनस्थ सभी कार्यालयों द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूरा पालन किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय ने इस पर हर्ष व्यक्त किया और इस संबंध में निदेश दिया गया कि भविष्य में भी धारा 3(3) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(कार्रवाई: राजभाषा प्रभाग/मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालय)

(ii) हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना

राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 में किए गए प्रावधान के अनुसार हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर अनिवार्य रुप से हिंदी में ही दिया जाना है । आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और इसके सभी अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि हिंदी में प्राप्त का उत्तर हिंदी में ही दिए जाने के राजभाषा विभाग के निदेश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(कार्रवाई: राजभाषा प्रभाग/मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालय)

(iii) पत्राचार में हिंदी के प्रयोग की स्थिति

प्रकाशन विभाग तथा राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान कार्यालयों द्वारा शत प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में किया जा रहा है और लेखन सामग्री कार्यालय, कोलकाता द्वारा भी राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है । इस पर अध्यक्ष महोदय ने प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही आशा व्यक्त की कि जो निर्धारित लक्ष्य के समीप हैं वे भी शीघ्र ही लक्ष्य को प्राप्त करें। **इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि मंत्रालय के अनुभागों/प्रभागों** द्वारा तथा **सभी अधीनस्थ कार्यालयों** द्वारा दिए गए **आंकड़ों की सत्यता की भी जांच की जाए।**

पत्राचार में हिंदी के प्रयोग के संबंध में समीक्षा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने **केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भूमि तथा विकास कार्यालय तथा एनसीएचएफ** कार्यालयों में पत्राचार में हिंदी के प्रयोग की प्रगति अपेक्षाकृत कम होने के संबंध में चिंता व्यक्त की । उक्त कार्यालयों द्वारा पत्राचार में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए निदेश दिए ।

(कार्रवाई: संबंधित कार्यालय, हिन्दी प्रभाग)

(iv) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सहित सभी कार्यालयों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रुप से आयोजित की जा रही हैं । अध्यक्ष महोदय ने सभी कार्यालयों को भविष्य में भी राजभाषा कार्यान्वयन कार्यन्वयन की बैठक नियमित रुप से आयोजित करने का निदेश दिया ।

(कार्रवाई: राजभाषा प्रभाग/मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालय)

कार्यसूची की मद संख्या:4

हिन्दी कार्यशालाओं का नियमित आयोजन करना

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा मंत्रालय के अधीनस्थ सभी कार्यालयों द्वारा नियमित रुप से हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मंत्रालय तथा उसके संबद्ध/अधीनस्थ/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि द्वारा प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला आयोजित की जाए तथा उसकी समायवधि कम से कम एक कार्यदिवस हो । इस पर अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया की भविष्य में सभी कार्यालयों द्वारा नियमित रुप से हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए तथा **अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाई तथा कम्प्यूटर पर हिंदी में सरलता से कार्य करने की तकनीक तथा हिन्दी में टाइप करने से संबंधित विषयों को लिया जाए।**

(कार्रवाई: राजभाषा प्रभाग/मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालय)

कार्यसूची की मद संख्या : 05

राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम पर चर्चा

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि मंत्रालय तथा मंत्रालय के अधीनस्थ सभी कार्यालय राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में विनिर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

(कार्रवाई: राजभाषा प्रभाग/मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालय)

कार्यसूची की मद संख्या : 05

फाइलों पर हिन्दी में टिप्पणियां लिखना

वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों के अनुसार "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों द्वारा कम से कम 75 प्रतिशत टिप्पणियां हिंदी में लिखने का लक्ष्य है । इस संबंध में समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि प्रकाशन विभाग तथा बीएमटीपीसी कार्यालयों द्वारा शत प्रतिशत टिप्पणियां हिन्दी में लिखी जा रही हैं जिस पर अध्यक्ष महोदय ने हर्ष व्यक्त किया । साथ ही हिन्दी में लक्ष्य से कम टिप्पणियां लिखने पर भूमि और विकास कार्यालय (34.11%) तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (72.88%) के लिए असंतोष व्यक्त किया और निदेश दिया कि सभी कार्यालय राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में टिप्पणियां लिखे जाने के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के ठोस प्रयास करें ।

(कार्रवाई: राजभाषा प्रभाग/मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालय)

उपर्युक्त मदों पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने यह भी निदेश दिया कि **मंत्रालय में उपलब्ध सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड इंस्टाल किया जाए जिससे प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी स्वयं कम्प्यूटर पर हिंदी में कार्य कर सके। अध्यक्ष महोदय ने चर्चा के दौरान यह भी निदेश दिया कि अनुवाद संबंधी कार्य के लिए कई बार गूगल द्वारा अनुवाद करके भेजा जाता है। गूगल द्वारा किया गया अनुवाद सटीक एवं उपयुक्त नहीं होता है। अतः ऑनलाइन माध्यम से पूर्ण अनुवाद कार्य किया जाना सही प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने कड़े शब्दों में निदेश दिया कि दैनिक अनुवाद कार्य में गूगल अनुवाद का प्रयोग न किया जाए।** इसके अलावा पुस्तकालय में पुस्तकों की स्थिति का भी पता लगाए जाने तथा हिन्दी पुस्तकों की नियमानुसार खरीद किए जाने के लिए पुस्तकालय को लिखे जाने के निदेश दिए।

(कार्रवाई: आईटी सेल/पुस्तकालय)

तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ समिति की बैठक संपन्न हुई ।

*****

अनुबंध-1

अपर सचिव (प्रशासन), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 22 जून, 2022 को 12.00 बजे आयोजित की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में उपस्थिति अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

1. श्री संजय कुमार, अपर सचिव (प्रशासन), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
2. श्री संतोष शिल्पोकर, निदेशक (राजभाषा), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
3. श्री संजय पाटिल, उप निदेशक (राजभाषा), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
4. श्री गोपाल कृष्ण सिन्हा, मुख्य राजभाषा अधिकारी, दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि.
5. सुश्री उपिन्दर कौर, महाप्रबंधक (राजभाषा), हडको
6. श्री ज्ञान प्रकाश रंजन, मुख्य (मा.सं), हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटिड
7. श्री एन एस मेहरा, मुख्य कार्यकारी, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ
8. श्री वासुदेव दास, संयुक्त निदेशक, एनबीओ
9. श्री दीन दयाल, उप भूमि तथा विकास अधिकारी, भूमि तथा विकास कार्यालय
10. श्री एस एस राणा, प्रभारी हिन्दी अधिकारी, बीएमटीपीसी
11. डॉ आर. आर. यादव, राजभाषा अधिकारी, दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि.
12. श्रीमती अस्मिका सिन्हा, राजभाषा अधिकारी, दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि.
13. श्री अफसर अहमद, अपर महाप्रबंधक (राजभाषा)
14. श्री अजय कुमार झा, सहायक निदेशक, के.लो.नि.वि.
15. श्री योगेश मल्होत्रा, सहायक निदेशक, भूमि एवं विकास अधिकारी
16. श्री दीपक सक्सेना, सहायक निदेशक, दिल्ली विकास प्राधिकरण
17. श्री एम एल मीना, सहायक निदेशक, मुद्रण निदेशालय
18. श्रीमती भारती पुंजा, सहायक निदेशक, संपदा निदेशालय
19. श्रीमती लुसी ज्योति बेक, सहायक निदेशक (प्रशासन), प्रकाशन विभाग
20. श्री एस.पी.कुमार, अनुसंधान अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ
21. श्री विजेन्द्र कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
22. श्री राजकिशोर मिश्र, निजी सहायक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
23. श्री नरेन्द्र कुमार, सहा.महाप्रबंधक (रा.भा.), हडको
24. श्री ललित मेहता, सहायक निदेशक, टीसीपीओ
25. श्री अनिल, वरि.अनुवाद अधिकारी, भूमि एवं विकास अधिकारी
26. श्रीमती कल्पना देवानी, हिंदी अनुवादक, दिल्ली नगर कला आयोग
27. श्री हरीश, वरि.अनुवाद अधिकारी, मुद्रण निदेशालय
28. सुश्री प्रिया दुबे, क.अनु.अधि., एनबीओ
29. श्रीमती पूनम मल्होत्रा, हिंदी अनुवादक, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान
30. श्री मनोज कुमार सिंह, वरि. अनु. अधि., सीजीडब्ल्यूएचओ
31. श्रीमती दीपमाला पाण्डेय, हिंदी अनुवादक, रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड
32. श्री भोज प्रकाश, परामर्शदाता, राजभाषा, दिल्ली विकास प्राधिकरण
33. श्री अमरनाथ कुमार, अनुवादक, प्रकाशन विभाग
34. मो. शाकिब, हिंदी टंकक, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान

अनुबंध - II

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुभाग और प्रभाग

(जून, 2022)

क्र. सं.	अनुभाग/ प्रभाग का नाम	कॉलम 1				कॉलम 2				कॉलम 3								कॉलम 4									कॉलम 5	
		राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी कागजात				हिन्दी में प्राप्त पत्रों की स्थिति (राजभाषा नियम 5)				अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल क और ख क्षेत्र में स्थित कार्यालय के लिए)								भेजे गए मूल पत्रों का ब्यौरा									फाइलों/दस्तावेजों पर टिप्पण लेखन का ब्यौरा	
		जारी कागजात की कुल सं.	द्विभाषी रूप से जारी कागजात की संख्या	केवल अंग्रेजी में जारी कागजात की संख्या	केवल हिंदी में जारी कागजात की संख्या	हिन्दी में प्राप्त पत्रों की कुल संख्या	हिंदी में उत्तर दिए गए पत्रों की संख्या	अंग्रेजी में उत्तर दिए गए पत्रों की संख्या	उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं है	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या		कितनों के उत्तर हिन्दी में दिए गए		कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए		कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं है		हिन्दी में			अंग्रेजी में			भेजे गए पत्रों की कुल संख्या			हिंदी में लिखी गई टिप्पणियां	अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियां
										'क' क्षेत्र	'ख' क्षेत्र	'क' क्षेत्र	'ख' क्षेत्र	'क' क्षेत्र	'ख' क्षेत्र	'क' क्षेत्र	'ख' क्षेत्र	'क' क्षेत्र	'ख' क्षेत्र	'ग' क्षेत्र	'क' क्षेत्र	'ख' क्षेत्र	'ग' क्षेत्र	'क' क्षेत्र	'ख' क्षेत्र	'ग' क्षेत्र		
1	प्रशासन अनुभाग - 1	69	65	4	36	71	66	0	5	39	26	27	17	11	7	1	2	167 (87.4%)	24 (70.5%)	5 (35.7%)	24	10	9	191	34	14	28 (54.9%)	23 (45.0%)
2	प्रशासन अनुभाग - 4	80	35	25	20	35	30	0	5	35	27	26	18	8	7	1	2	110 (53.65%)	35 (63.63%)	6 (42.85%)	95	20	8	205	55	14	25 (54.34%)	21
3	अमृत प्रभाग																											
4	बजट प्रभाग	215	140	72	8	8	8	0	0	252		22		222		12		140 (57.37%)			104			244			5 (18.51%)	27

5	मिशन समन्वय अनुभाग और संसद	60	10	45	5	20	5	0	15	260	180	212	150	20	5	28	5	45 (88.2%)	140 (90.3%)	250 (92.5%)	6	15	20	39	155	230	35 (83.3%)	7 (16.6%)
6	दिल्ली प्रभाग																											
7	आर्थिक प्रभाग																											
8	वित्त प्रभाग																											
9	विरासत शहर और आईसी प्रभाग																											
10	सबके लिए आवास प्रभाग																											
11	आवास प्रभाग																											

12	एनईआर यूडीपी और एमसी	0	0	0	0	15	5	0	10	3	2	3	2	0	0	0	0	53 (91.3%)	32 (91.4%)	17 (11.8%)	5	3	127	8	5	144	17 (7.58%)	207 (92.41%)
13	एलएसजी प्रभाग	0	0	0	0	20	20	0	0	152	74	0	0	129	61	23	13	16 (11.3%)	4 (6.1%)	0	129	61	71	145	65	71	23 (18.54%)	101 (81.45%)
14	पीएचई प्रभाग																											
15	पीएसपी प्रभाग																											
16	स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) प्रभाग	0	0	0	0	83	80	0	3	83	105	72	45	3	55	8	5	60 (80%)	15 (14.2%)	17 (54.8%)	15	90	14	75	105	31	120 (59.11%)	83 (40.88%)
17	शहरी विकास प्रभाग	0	0	0	0	5	5	0	0	49	10	4	0	49	10	0	0	4 (7.5%)	0	1 (6.2%)	49	10	15	53	10	16	5 (6.32%)	74 (93.67%)
18	शहरी परिवहन प्रभाग - 5	555	19	525	18	34	5	16	13	100	1110	0	0	84	96	16	15	9 (3.2%)	0	0	267	122	80	276	122	80	10 (2.84%)	342 (97.15%)

19	शहरी गरीबी उन्मूलन (यूपीए)																											
20	सतर्कता एकक	0	0	0	0	31	5	0	26	196	3	5	0	79	3	112	0	5 (7.6%)	0	0	60	3	7	65	3	7	7 (1.90%)	360
21	हेरिटेज सिटीज विभाग (हृदय विभाग)	97	0	95	2	2	2	0	0	78	51	0	0	59	36	19	15	0	0	0	33	17	12	33	17	12	0 (0%)	32
22	निर्माण प्रभाग																											
23	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग	687	0	687	0	0	0	0	0	566	0	0	0	566	0	0	0	0	0	0	526	0	0	526	0	0	0 (0%)	116
24	केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन																	0										
कुल		1763	269	1453	89	324	231	16	77	1813	1588	371	232	1230	280	220	57	0	0	0	1313	351	363	1860	571	619	0	556